



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
75/019	53,88,89, 188 RTA	वडारपुर	६४३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रमेश	बनाम	रामपाल	

जिल:- दौलतराज भीता

आदेश पत्रक

वकील:-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/01/19	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,89, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गज के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता को अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गज को जर्ज सम्मान तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/8/019 को पेश हो।	7/10
20/8/19	अभिभाषक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31.9.19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
31/9/19	पत्रावली पेश हुई। वकील भागी उपास्थित। प्रतिवादी रुक 1 रामपाल की ओर से श्री दीपक भागी एडवो. को वकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी रुक 2 रु 3 की तलबी हेतु तलबनी आज ही पेश करें। वकील तलबी। तलबनी पत्रावली दिनांक 7/10/19 को पेश हो।	
5/11/19	अभिभाषक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10/12/19 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	



दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

29.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं जज वादी उपर  
नहीं। न्यायालय के कंडे - रुद्र कर तीन बार आवाज  
लागवाई गई वकील वादी एवं जज वादी कोई उपस्थित  
नहीं हुए। प्रकरण अलग अलग प्रैसी के धारित  
दिनांक जाता है। पत्रावली प्रेशल शुभार होकर बाद  
नामील वकलील के दायिल इपतर हो।

